SHRI L. K. ADVANI: The question posed is about the Verghese Committee's recommendations and as the hon'ble Members are aware this House discussed that matter only in the last Session. Since then the government is busy processing the whole report and the deliberations and the views-points of the Members. (*Interruptions*)

I hope it will be possible for the government to introduce a bill for the conversion of A.I.R. into an autonomous corporation in this Budget Session.

12.45 hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

TWENTIYTH REPORT AND MINUTES

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I beg to present the Twentieth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings (1978-79) on Structure of Boards of Management of Public Undertakings and other Allied Matters and Minutes (Hindi and English versions) of the sitting of the Committee relating thereto.

12.46 hrs.

METTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED ATR C TIES ON HARIJANS IN BIHAR.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान प्रशासन द्वारा हरिजनों की हत्या की ओर खींचना चाहता हूं। विगत 17 दिसम्बर को पटना के एक पुलिस अधिकारी द्वारा तीन हरिजनों को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि ठकेता डोम की तत्काल हिरासत में ही मृत्यु हो गई तथा उस के साथी किसी तरह से जीवत हैं। बाद में उक्त अधिकारी ने हरिजन की लाश को पटना मैडिकल अस्पताल भेज दिया। 19 दिसम्बर को जब हरिजन विद्यार्थियों को ठकेता की हत्या का पता चला, तो वे दौड़े दौड़े स्वर्गीय ठकेता के घर पहुंचे। वहां जाने पर पता चला कि लाश को उक्त अधिकारी गायब करना चाहते हैं। 20 तारीख को छात्रों ने हत्याकांड के विरोध में जुलूस निकाला, जिस में राजधानी के हरिजन, मजदूर, महिलायें, बच्चे सभी तबके के लोग थे। वे लोग लाश को मुख्य मंत्री के पास ले जाना चाहते थे। रास्ते में उक्त अधिकारी के प्रभाव के बल पर डी० आर० पी० एव उपस्थित अधिकारियों ने छात्रों को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन अंततः लोग मुख्य मंत्री के पास पहुच गये। मुख्य मंत्री ने स्वय जा कर लाश का निरीक्षण किया तथा अपने हाथों उस का मुआयिन किया। उन के कार्यवाही के आश्वासन के बाद भी अभी तक उक्त अधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई।

एक तरफ सरकार कहती है कि जहां कहीं हरिजनों पर जुल्म होगा, उस के लिये उस जिले के जिलाधिकारी तथा एस० पी० को दोषी माना जायेगा। लेकिन दूसरी ओर जब एस० पी० स्वय निर्दोष हरिजन की हत्या करता है तो सरकार तथा प्रशासन उसको बचा लेते हैं। मैं ने इस सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री तथा बिहार के मुख्य मंत्री को भी बहुत पहिले लिखित रूप में सूचित किया, लेकिन अभी तक उक्त पदाधिकारी को निलंबित नहीं किया गया क्योंकि सरकार के मंत्री से लेकर प्रशासन तक उक्त पदाधिकारी का बोलबाला है।

इसी तरह 11-3-79 के साप्ताहिक रविवार में स्वर्गीय श्री राधाकान्त धोबी (हरिजन), ग्राम पचखरवी, जिला सिवान (बिहार) की हत्या की खबर छपी है। पचखरवी अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू के जिम्मे राधा हरिजन की धुलाई की मजदूरी के बारह रुपये थे, जिस को देने से वह इन्कार करता था। जब बाद में बिगड़ कर राधा हरिजन ने मजदूरी मांगी, तो उस को उक्त बड़ा बाबू ने सबक सिखाने की धमकी दी। दो दिनों बाद अंचल कार्यालय के एक लिपिक के घर में चोरी हुई। इस चोरी की घटना से बड़ा बाबू को राधा से बदला लेने का सुनहरा मौका मिल गया। बड़ा बाबू गवाह बने और उन्हों ने पुलिस को बताया कि राधा और उस के सबंधी ने चोरी की है। बाद में रात्रि में पुलिस द्वारा राधा और उस के भतीजे को गिरफ्तार कर अंचल कार्यालय लाया गया। अंचल कार्यालय के मैदान में दोनों को बांध कर दो दिनों तक पिटाई चलती रही। इतना ही नहीं, उसकी उंगलियों को लोहे की छड़ से कुचला गया, मोमबत्ती से जलाया गया और पाखाने के रास्ते से पेट में मिर्चों का घोल डाला गया। राधा ने चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना की कि उसे गोली से मार दें, लेकिन इस तरह कष्ट दे कर न मारें। निर्दयतापूर्वक राधा की हत्या करदी गई। राधा के कत्ल के इल्जाम से बचने के लिये पुलिस ने अपने अनुकूल पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट लिखवाई और रात्रि में ही लाश को जला दिया। सिवान नगरपालिका कर्मचारी यूनियन तथा महिला समाज द्वारा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाही नहीं की गई।

झांसी के मैडिकल कालेज के एक हरिजन छात्र राम प्रसाद को प्रधानाचार्य तथा फैथोलोजी विभाग के अध्यक्ष के व्यवहार से तंग आ कर आत्म हत्या पर विवश होना पड़ा। राम प्रसाद हमेशा प्रथम स्थान

[श्री राम बिलास पासवान]

कक्षा में प्राप्त करता था और उसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति भी मिलती थी लेकिन पैथोलाजी विभाग के अध्यक्ष द्वारा परीक्षा में उसे सात बार फेल कर दिया गया। हत्या के पूर्व राम प्रसाद ने प्रधानाचार्य से जा कर कहा कि इस बार यदि उसे जानबूझ कर फेल किया गया तो वह आत्म हत्या कर लेगा। अपने आखिरी खत में राम प्रसाद ने लिखा था कि "जिन्दगी मुझे बोझ" मालूम पड़ने लगी है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी लाश को पैथोलाजी विभाग के संग्रहालय में रख दिया जाये ताकि पैथोलाजी विभाग के अध्यक्ष देख कर खुश हों कि मैं पैथोलाजी विभाग में ही पड़ा सड़ रहा हूं।

28 जनवरी को सारे विद्यार्थियों ने जुलूस निकाल कर उक्त डाक्टर की निन्दा की तथा मांग किया कि प्रधानाचार्य एवं पैथोलाजी विभाग के अध्यक्ष को अविलम्ब बर्खास्त किया जाय।

इस तरह की आये दिन घटनाएं घटती जा रही हैं।

क्या मैं गृह मंत्री जी से सदन के माध्यम से जान सकता हूं कि इस दिशा में वे क्या करने जा रहे हैं?

(ii) Indian Institute of Technology, Kanpur.

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

आइ आइ टी कानपुर का प्रशासन ठप्प हो चुका है। उच्चाधिकारी आपस में टकरा रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ ने पूरी तरह शिक्षा संस्थान पर कब्जा किया हुआ है। नियम-कानून की व्यवस्था लगभग समाप्त ही गई है। ईमानदार कर्मचारी राजनीति और कूटनीति के शिकार बनाये जा रहे हैं। वर्तमान निदेशक के कार्यालय में आइ आइ टी के कैम्पस स्कूल का प्रिंसिपल, अस्पताल का एक मेडिकल आफिसर, एस टी ए और एक चौकीदार बर्खास्त हो चुके हैं। अन्य एक एस टी ए तथा छः इंजिन ड्राइवर पिछले लगभग एक वर्ष या उस से अधिक से निलम्बित हैं।

निदेशक या तो कैम्पस और देश से बाहर रहते हैं या अस्वस्थता के बहाने घर से प्रशासन चलाते हैं। उन का सम्पर्क वहां के कर्मचारियों तथा सामान्य फैकल्टी से टूटा हुआ है। निदेशक लगभग पिछले दो वर्षों से शैडो को साथ ले कर चलते हैं। उन का काम उपनिदेशक करते हैं।

3 मार्च, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार संस्थान में निम्नलिखित अनियमितताएं फैली हैं :

(क) लाखों और हजारों रुपये को धनराशि शतप्रतिशत से ले कर 80 प्रतिशत तक, सप्लाई से पहले ही, प्राइवेट फर्मों को एडवांस कर दी जाती है।

(ख) मनमाने ढंग से नियुक्तियां की जा रही हैं। कैम्पस स्कूल के प्राचार्य पद पर पिछले 11 वर्षों से 500-900 के वेतनक्रम कार्यरत व्यक्ति को निलम्बित कर के 1100-1600 के वेतन क्रम में डेपूटेशन एलाउंस दे कर, केन्द्रीय विद्यालय संस्थान में प्राचार्य पद पर काम करने वाली की नियुक्ति बिना पहले से पद सृजित कराये की गई। पद बाद में गलत तथ्यों के आधार पर सृजित कराया गया। 500-900 रुपये के वेतन क्रम में कार्यरत प्रिंसिपल को छोटे-छोटे आरोपों के आधार पर अब बर्खास्त कर दिया गया है।

(ग) बड़े पमाने पर तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं।

(घ) पांचों आइ आइ टी की संयुक्त परीक्षाओं में से एक परीक्षा के संदर्भ में तत्कालीन संयुक्त प्रवेश समिति के अध्यक्ष के द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में जांच समिति की रिपोर्ट आ जाने के बावजूद भी मामलें को दबा दिया गया।

(ङ) संस्थान के रजिस्ट्रार को बिना किसी आधार एवं औचित्य के निलंबित कर दिया गया है। रजिस्ट्रार पर जो आरोप लगाये गये हैं वे न तो वित्तीय अनियमितता के, न गबन अथवा सरकारी धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित हैं। न ही उन में से कोई आरोप नैतिक मूल्यों के हनन से सम्बन्धित है। रजिस्ट्रार देश के प्रसिद्ध लेखक हैं और उन के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार से देश का बुद्धिजीवी वर्ग क्षुब्ध एवं चिन्तित है।

इस संस्थान में कर्मचारियों और प्रशासन के बीच तनाव है। यहां तक कि प्रशासन के कारण तीन फैकल्टी मेम्बरों ने वार्डन पद से त्यागपत्र दे दिया है। अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कर्मचारियों से प्रशासन की तानाशाही से मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की है।

साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही जारी है। इसी जाति से सम्बन्धित एक कर्मचारी को आदेशों के प्रसारित होने के बावजूद पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया।

आइ आइ टी कानपुर राष्ट्र महत्व की संस्था है तथा जनता का लगभग 7 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस संस्थान पर खर्च होता है। यह आशा की जाती है कि इस संस्थान के छात्र देश के बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर बनेंगे। ऐसी स्थिति में शैक्षिक मूल्यों के ह्रास की पूरी संभावना है जो हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है।

शिक्षा मंत्री महोदय का उपरोक्त स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, उन से निवेदन है कि वे दमनात्मक कार्यवाहियों को वापस कराने की दिशा में तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दें तथा अनियमितताओं की जांच के लिए नियमानुसार उच्च स्तरीय जांच समिति नियुक्त करायें। साथ ही आपातकालीन अधिनायकवाद के एजेंटों द्वारा अभी तक चली आ रही इस आपातकालीन स्थिति को तत्काल समाप्त क ये धन्यवाद।